पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी,

प.स. कानपुरा के ग्राम कानपुरा के खाता सं. 33 में खातेदार अ. बाबूखां दर्ज है जो की नाम अशुद्ध है। खातेदार का नाम विरासत नामा से अमजद पुत्र बाबूखां दर्ज होना था परन्तु वर्तमान जमाबंदी में नाम असमत दर्ज है जो की अशुद्ध है अतः नाम शुद्ध कर अमजद खां पुत्र बाबू खां किया जावे।

भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट

श्रीमानजी,

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी विरासत नामा में असमत पुत्र बाबूखां दर्ज है किन्तु आधार कार्ड अमजद पुत्र बाबूखां दर्ज है कि अनुसार शुद्धी बावत चाहता है। अभिलेखी आधार प्रमाण लेखान नहीं है रिपोर्ट प्रकृत है। पुनश्च: ग्रा.प. फिलावड संरपच द्वारा व हैदरबेग द्वारा तस्दीक की है। असमत/अमजद पुत्र बाबू एक ही व्यक्ति है जाही नाम अमजद पुत्र बाबूखां है।

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ. स्वीकृत है।

शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025/815

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर–2025"

क्रमांक/490 दिनांकः– 19/12/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरूस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम कानपुरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 33 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	असमत पुत्र बाबू खां शेष बदस्तूर	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार		अमजद खां पुत्र बाबू खां शेष बदस्तूर (पटवारी रिपोर्ट अनुसार)	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार	

क्रमांक :- 6520-21 दिनांक :- 19/12/25

प्रतिलिपि :- (1.) तहसीलदार नसीराबाद को कार्यवाही
(2.) आदेश पत्रावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर